समक्ष अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपस्थित ::– श्री राजेन्द्र कुमार–IV,एच0जे0एस0,–––––अध्यक्ष ।

अन्तरण प्रार्थना–पत्र संख्या–216/18––––––––– वर्ष 2012–13 प्रान्तीय

मेसर्स इस्जैक हैवी इंजीनियरिंग लि0 नरा, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर।

बनाम

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिनिधित्व :– (आवेदक की ओर से श्री मनु ऋषि ,अधिवक्ता)

(विपक्षी की ओर से श्री दीपक सिंह, राज्य प्रतिनिधि)

आदेश

अपीलावली पेश हुई।

यह अन्तरण प्रार्थना–पत्र सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण मुजफ्फरनगर पीठ के समक्ष लम्बित द्वितीय अपील संख्या–229/17 वर्ष 2012–13प्रान्तीय को अन्यत्र अन्तरित किये जाने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक कम्पनी की एक इकाई मुजफ्फरनगर में स्थित है तथा 4 इकाईयॉ नोएडा में स्थित हैं। नोएडा इकाई का पंजीयन नोएडा में कराया गया है तथा मात्र एक इकाई का पंजीयन मुजफ्फरनगर में है। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद नोएडा इकाई से सम्बन्धित है। उसके अधिवक्ता मेरठ में रहते हैं, जो मामले से पूर्णतः अवगत हैं। मुजफ्फरनगर में सुनवाई हेतु कठिनाई हो रही है और अपील का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कर निर्धारण अधिकारी रिमांडेड वाद का निस्तारण करने हेतु तत्पर है,जिससे उसे क्षति होने की सम्भावना है। आवेदक ने प्रार्थना–पत्र के माध्यम से यह भी कहा है कि मुजफ्फरनगर पीठ के सदस्य से न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है क्योंकि वे मौखिक रूप से यह कह चुके हैं कि प्रतिप्रेषित वाद का निस्तारण कर निर्धारण अधिकारी से ही करा लें। चूँकि उनका मत निर्णय से पूर्व ही आ चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदक को उनसे न्याय मिलने की सम्भावना नहीं रह गयी है।

स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र पर सम्बन्धित पीठ की आख्या प्राप्त की गयी। आख्या में द्वितीय अपील विचाराधीन होना बताया गया है। यह भी कहा गया है कि यदि कहीं अन्यंत्र अपील स्थानान्तरित की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान राज्य प्रतिनिधि को सुना गया।

आवेदक के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र में दर्शाये गये आधारों को ही बहस में बल दिया। स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है। विद्वान राज्य प्रतिनिधि द्वारा मौखिक रूप से स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया,किन्तु आवेदक की ओर से दिये गये शपथ–पत्र के विरूद्व कोई प्रतिशपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। चूँकि स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र में आवेदक द्वारा मुजफ्फरनगर पीठ के सदस्य से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं बतायी है। प्रार्थना–पत्र में लगाये गये अभिकथनों के गुण दोष पर न जाते हुए पक्षकारों का न्याय पर विश्वास बना रहे, ऐसी स्थिति में स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अन्तरण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण मुजफ्फरनगर पीठ में विचाराधीन द्वितीय अपील संख्या–229/17 वर्ष 2012–13प्रान्तीय को उक्त पीठ से वापिस लेते हुए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–2 लखनऊ के न्यायालय में विधि अनुसार निस्तारण हेतु स्थानान्तरित की जाती है।

दिनांकः 16 :मार्च–2018

(राजेन्द्र कुमार–IV)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समक्ष अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपस्थित :: श्री राजेन्द्र कुमार–IV,एच0जे0एस0,–––––अध्यक्ष ।

अन्तरण प्रार्थना–पत्र संख्या–217/18––––––––––––वर्ष 2012–13 केन्द्रीय

मैसर्स इस्जैक हैवी इंजीनियरिंग लि0 नरा, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर।

बनाम

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिनिधित्व :– (आवेदक की ओर से श्री मनु ऋषि ,अधिवक्ता)

(विपक्षी की ओर से श्री दीपक सिंह, राज्य प्रतिनिधि)

आदेश

पत्रावली पेश हुई।

यह अन्तरण प्रार्थना–पत्र सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण मुजफ्फरनगर पीठ के समक्ष लम्बित द्वितीय अपील संख्या–230/17 वर्ष 2012–13 केन्द्रीय को अन्यत्र अन्तरित किये जाने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक कम्पनी की एक इकाई मुजफ्फरनगर में स्थित है तथा 4 इकाईयॉ नोएडा में स्थित हैं। नोएडा इकाई का पंजीयन नोएडा में कराया गया है तथा मात्र एक इकाई का पंजीयन मुजफ्फरनगर में है। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद नोएडा इकाई से सम्बन्धित है। उसके अधिवक्ता मेरठ में रहते हैं, जो मामले से पूर्णतः अवगत हैं। मुजफ्फरनगर में सुनवाई हेतु कठिनाई हो रही है और अपील का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कर निर्धारण अधिकारी रिमांडेड वाद का निस्तारण करने हेतु तत्पर है,जिससे उसे क्षति होने की सम्भावना है। आवेदक ने प्रार्थना–पत्र के माध्यम से यह भी कहा है कि मुजफ्फरनगर पीठ के सदस्य से न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है क्योंकि वे मौखिक रूप से यह कह चुके हैं कि प्रतिप्रेषित वाद का निस्तारण कर निर्धारण अधिकारी से ही करा लें। चूँकि उनका मत निर्णय से पूर्व ही आ चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदक को उनसे न्याय मिलने की सम्भावना नहीं रह गयी है।

स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र पर सम्बन्धित पीठ की आख्या प्राप्त की गयी। आख्या में द्वितीय अपील विचाराधीन होना बताया गया है। यह भी कहा गया है कि यदि कहीं अन्यंत्र अपील स्थानान्तरित की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान राज्य प्रतिनिधि को सुना गया।

आवेदक के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र में दर्शाये गये आधारों को ही बहस में बल दिया। स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है। विद्वान राज्य प्रतिनिधि द्वारा मौखिक रूप से स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया,किन्तु आवेदक की ओर से दिये गये शपथ–पत्र के विरूद्व कोई प्रतिशपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। चूँकि स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र में आवेदक द्वारा मुजफ्फरनगर पीठ के सदस्य से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं बतायी है। प्रार्थना–पत्र में लगाये गये अभिकथनों के गुण दोष पर न जाते हुए पक्षकारों का न्याय पर विश्वास बना रहे, ऐसी स्थिति में स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अन्तरण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण मुजफ्फरनगर पीठ में विचाराधीन द्वितीय अपील संख्या–230/17 वर्ष 2012–13 केन्द्रीय को उक्त पीठ से वापिस लेते हुए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–2 लखनऊ के न्यायालय में विधि अनुसार निस्तारण हेतु स्थानान्तरित की जाती है।

दिनांकः 16 :मार्च–2018

ह0/–

(राजेन्द्र कुमार–IV)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समक्ष अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपस्थित :: श्री राजेन्द्र कुमार–IV,एच0जे0एस0,–––––अध्यक्ष ।

अन्तरण प्रार्थना–पत्र संख्या–218/18–––––––––– वर्ष 2012–13 प्रवेश कर

मेसर्स इस्जैक हैवी इंजीनियरिंग लि0 नरा, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर।

बनाम

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिनिधित्व :– (आवेदक की ओर से श्री मनु ऋषि ,अधिवक्ता)

(विपक्षी की ओर से श्री दीपक सिंह, राज्य प्रतिनिधि)

आदेश

पत्रावली पेश हुई।

यह अन्तरण प्रार्थना–पत्र सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण मुजफ्फरनगर पीठ के समक्ष लम्बित द्वितीय अपील संख्या–231/17 वर्ष 2012–13 प्रवेश कर को अन्यत्र अन्तरित किये जाने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक कम्पनी की एक इकाई मुजफ्फरनगर में स्थित है तथा 4 इकाईयॉ नोएडा में स्थित हैं। नोएडा इकाई का पंजीयन नोएडा में कराया गया है तथा मात्र एक इकाई का पंजीयन मुजफ्फरनगर में है। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद नोएडा इकाई से सम्बन्धित है। उसके अधिवक्ता मेरठ में रहते हैं, जो मामले से पूर्णतः अवगत हैं। मुजफ्फरनगर में सुनवाई हेतु कठिनाई हो रही है और अपील का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कर निर्धारण अधिकारी रिमांडेड वाद का निस्तारण करने हेतु तत्पर है,जिससे उसे क्षति होने की सम्भावना है। आवेदक ने प्रार्थना–पत्र के माध्यम से यह भी कहा है कि मुजफ्फरनगर पीठ के सदस्य से न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है क्योंकि वे मौखिक रूप से यह कह चुके हैं कि प्रतिप्रेषित वाद का निस्तारण कर निर्धारण अधिकारी से ही करा लें। चूँकि उनका मत निर्णय से पूर्व ही आ चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदक को उनसे न्याय मिलने की सम्भावना नहीं रह गयी है।

स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र पर सम्बन्धित पीठ की आख्या प्राप्त की गयी। आख्या में द्वितीय अपील विचाराधीन होना बताया गया है। यह भी कहा गया है कि यदि कहीं अन्यंत्र अपील स्थानान्तरित की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान राज्य प्रतिनिधि को सुना गया।

आवेदक के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र में दर्शाये गये आधारों को ही बहस में बल दिया। स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है। विद्वान राज्य प्रतिनिधि द्वारा मौखिक रूप से स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया,किन्तु आवेदक की ओर से दिये गये शपथ–पत्र के विरूद्व कोई प्रतिशपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। चूँकि स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र में आवेदक द्वारा मुजफ्फरनगर पीठ के सदस्य से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं बतायी है। प्रार्थना–पत्र में लगाये गये अभिकथनों के गुण दोष पर न जाते हुए पक्षकारों का न्याय पर विश्वास बना रहे, ऐसी स्थिति में स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अन्तरण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण मुजफ्फरनगर पीठ में विचाराधीन द्वितीय अपील संख्या–231/17 वर्ष 2012–13 प्रवेश कर को उक्त पीठ से वापिस लेते हुए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–2 लखनऊ के न्यायालय में विधि अनुसार निस्तारण हेतु स्थानान्तरित की जाती है।

दिनांकः 16 :मार्च–2018

(राजेन्द्र कुमार–IV)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।